

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A -167, 168 /2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
08.05.2017	<p>आवेदक/आरोपीगण प्रदीप नागर एवं बच्चूलाल की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आपत्तिकर्ता आरती स्वयं सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि० द्वारा लिखित आपत्ति पेश की।</p> <p>पुलिस थाना गोहद से अप०क्र० 44/17 धारा 498ए भा.द.वि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>उभय पक्षों के आवेदनपत्रों पर तर्क श्रवण किए गए।</p> <p>आवेदक/आरोपी प्रदीप नागर एवं बच्चूलाल की ओर से प्रथक प्रथक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० क्रमशः आवेदन क्रमांक 167/17 बी.ए., 168/17 बी.ए प्रस्तुत किये गए हैं, जो कि थाना गोहद के अप०क्र० 44/17 से संबंधित हैं। अतः उक्त दोनों आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।</p> <p>मूल आदेश जमानत आवेदनपत्र क्रमांक 167/17 बी.ए में किया जा रहा है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि जमानत आवेदनपत्र क्रमांक 168/17 के साथ संलग्न की जा रही है।</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत करना बताते हुए निवेदन है कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा फरियादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जबकि आवेदकगण के द्वारा कभी भी किसी प्रकार के दहेज की मांग फरियादिया से नहीं की है। आवेदक प्रदीप फरियादिया का देवर होकर वर्तमान में अध्ययन कर रहा है तथा आवेदक बच्चूलाल ससुर है। यदि उनको झूठे अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उनका करियर एवं प्रतिष्ठा धूमिल हो जावेगी। आवेदकगण जमानत की शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>आपत्तिकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया</p>	

कि उसका विवाह 29.04.13 को आवेदकगण के भाई/पुत्र राजकुमार के साथ सम्पन्न हुआ था, जिसमें उसके पिता द्वारा सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। आवेदकगण दहेज में बुलट मोटरसाइकिल व दो लाख रुपए की मांग करते हैं और इसे लेकर मारपीट भी करते हैं। अतः आपत्ति स्वीकार कर जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक बच्चूलाल रेल्वे में शासकीय सेवक है और आवेदक प्रदीप विद्यार्थी है। प्रकरण में आवेदकगण को झूठा फंसाया गया है। जबकि फरियादिया स्वयं नाराज होकर घर से चली गई है और दहेज वाली कोई बात नहीं है। दहेज की रिपोर्ट असत्य रूप से दर्ज करा दी गई है।

आवेदक बच्चूलाल शासकीय सेवक है इस संबंध में कोई दस्तावेज आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त/आवेदक बच्चूलाल व प्रदीप पर फरियादिया ने कमरे में बंद कर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह नहीं दर्शाया गया है कि आरोपीगण की गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है। केवल प्रकरण पंजीबद्ध होना एवं विवेचना जारी होने एवं जमानत मिलने पर गवाहों को डराने, धमकाने की संभावना दर्शाई है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए एवं लगाए गए आरोप के स्वरूप को देखते हुए आरोपीगण को अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने न्याय दृष्टांत **अर्नेश कुमार वि० विहार राज्य 2014(4) एम.पी.एच.टी. 81 एस.सी.** में दिए गए निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण बच्चूलाल व प्रदीप को पुलिस थाना के अपराध क्रमांक 44/17 अंतर्गत धारा 498ए भा.द.वि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में गिरफ्तारी आवश्यक हो तो सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)